FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई मुकाम अराई (अजमेर)

• श्रीमति भंवरी देवी पुत्री श्री स्व. नाथूलाल पत्नी श्री उमराव, आयु 74 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम मण्डावरिया तहसील अरांई जिला अजमेर राज व अन्य —प्रार्थीगण

बनाम

• गणपतलाल पुत्र नाथूलाल जाति दरोगा आयु 71 साल निवासी ग्राम मण्डावरिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य

—अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा— 212 राज0 का0 अधि0 1955

नंबर 32 /2022

ऑनलाइन नंबर 2022/ 83.....

वकील प्रार्थी प्रेमप्रकाश गुर्जर **वकील अप्रार्थीगण** .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
27.05.2022	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया की ओर से वकील श्री प्रेमप्रकाश गुर्जर ने अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि.1955 के तहत पेश किया। वकील वादी ने अपनी एकपक्षीय बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थीगणों 01 से 04 के पिता की खातेदारी की आराजी ग्राम मण्डावरिया तहसील अरांई में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 71 के खसरा संख्या 32, 33, 35, 36, 39, 127, 128, 128, 129, 182, 185 कुल किता 10 कुल रकबा 33 बीघा स्थित है, उक्त भूमि पैतृक है तथा अविभाजित है तथा अप्रार्थीगण उक्त भूमि को मिथ्या हकत्याग से स्वयं के नाम दर्ज करवा लिया है तथा प्रतिवादी संख्या 05 को बेचान कर दिया है जो कि उपरोक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अप्रार्थीगणों को उपरोक्त भूमि का बेचान, रहन, संपरिर्वतन, खुर्द बुर्द नहीं करने तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने के आदेश प्रदान करावें। हमारे द्वारा वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अतः वकील वादी की बहस के आधार पर विवादित आराजी मण्डावरिया तहसील अरांई में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 71 के खसरा संख्या 32, 33,35,36,39,127,128,128,129,182,185 कुल किता 10 कुल रकबा 33 बीघा भूमि में प्रार्थीगणो के हक हिस्से तक उपरोक्त भूमि का बेचान, रहन नहीं करने तथा रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने के लिये के लिये अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06 को आगामी तारीख पेशी तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 17.06.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	

फरावली पेश। वकील वादी अनुपस्थित।
CPC 09 R3 के तहत फरावनी अदम हाजिरी में
खारिज की जाती है।